जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, चतरा।

(जिला ग्रामीण विकास शाखा)

पत्रांक 997 /जि०ग्रा० दिनांक 01/07/2025

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत प्रखण्ड स्तर पर गठित PMU में नियुक्ति संबंधी सूचना

ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या–1016(अनु0), दिनांक–01.03.2017 तथा आयुक्त कार्यालय उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा अनुमोदित रोस्टर के आलोक में चतरा जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत स्वीकृत पदों के विरूद्ध कोटिवार रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। रिक्तियों की संख्या एवं अर्हता निम्नवत है:–

क्र0	पद का नाम	कुल रिक्त	कोटि	कोटिवार रिक्ति	उम्र सीमा	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
1	प्रखण्ड समन्वयक	03	अनुसूचित जाति	1	22–45	18000/–	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उतीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का कार्यानुभव । मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उतीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का कार्यानुभव।
			अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	1			
			पिछड़ा वर्ग	1			
2	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	04	अनारक्षित	1	18–30	10000/–	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/ संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इन्टरमीडियट उतीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से Diploma in Computer Application (DCA) के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से 6 माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।
			अनुसूचित जन जाति	1			
			अनुसूचित जाति	1			
			अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	1			

- ❖ उम्र की गण्ना 01.08.2025 के आधार पर की जायेगी ।
- ❖ संविदा आधारित नियुक्ति के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड रांची द्वारा समय–समय पर निर्गत आरक्षण, स्थानीयता एवं अन्य निदेश लागू होंगे।
- ❖ इच्छुक योग्य अभ्यर्थी **Online** आवेदन विभागीय पोर्टल **https:/applyrdd.jharkhand.gov.in** पर दिनांक–01.07.2025 से 15.07.2025 तक आवेदन भर सकेंगे। नियुक्ति के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश चतरा जिला के वेबसाईट **Chatra.nic.in** पर देखी जा सकती है ।

उपायुक्त,
चतरा ।

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, चतरा।

(जिला ग्रामीण विकास शाखा)

पत्रांक 997 /जि0ग्रा0 दिनांक 01/07/2025

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत प्रखण्ड स्तर पर गठित PMU में नियुक्ति संबंधी सूचना।

ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या–1016(अनु0), दिनांक–01.03.2017 तथा आयुक्त कार्यालय उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा अनुमोदित रोस्टर के आलोक में चतरा जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत स्वीकृत पदों के विरूद्ध कोटिवार रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। रिक्तियों की संख्या एवं अर्हता निम्नवत है:–

क्र0	पद का नाम	कुल रिक्त	कोटि	कोटिवार रिक्ति	उम्र सीमा	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
1	प्रखण्ड समन्वयक	03	अनुसूचित जाति	1	22–45	18000/–	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उतीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का कार्यानुभव । मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उतीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का कार्यानुभव।
			अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	1			
			पिछड़ा वर्ग	1			
2	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	04	अनारक्षित	1	18–30	10000/–	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/ संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इन्टरमीडियट उतीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से Diploma in Computer Application (DCA) के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से 6 माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।
			अनुसूचित जन जाति	1			
			अनुसूचित जाति	1			
			अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	1			

उम्र सीमा :– उम्र की गणना 01.08.2025 के आधार पर की जायेगी ।

नोटः– उक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति प्रभावी होगी ।

(रिक्त पदों की संख्या एवं कैलेण्डर की तिथि में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो सकता है)।

1. सभी नियुक्तियों में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–1617 दिनांक–17.03.2023 के आलोक में आयुक्त कार्यालय उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग का पत्रांक–911, दिनांक–13.06.2025 से अनुमोदित कोटिवार रोस्टर प्रभावी है ।

2. **नियुक्ति प्रक्रिया :-**

A. ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, रॉंची के अधिसूचना संख्या–1016(अनु0), दिनांक–01.03.2017 के आलोक में गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया संपादित की जायेगी ।

B. निर्धारित समय सीमा में ऑनलाईन आवेदन **https:/applyrdd.jharkhand.gov.in** पर आवेदन प्राप्त करने के पश्चात दस्तावेज सत्यापन एवं दक्षता परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन के माध्यम से भी सूचित किया जायेगा ।

C. आवेदन पत्र भरा हुआ एवं सभी अनिवार्य शैक्षणिक / वांछनीय शैक्षणिक प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति, वांछित कार्यानुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीयता प्रमाण पत्र तथा किसी अन्य जिला में आवेदन नहीं भरने का शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

D. सभी उपर्युक्त दस्तावेज निबंधित डॉक द्वारा ऑनलाईन आवेदन के अनुरूप PMU Cell, जिला ग्रामीण विकास शाखा, चतरा पिन कोड–825401 को अंतिम तिथि–15.07.2025 के कार्यालय अवधि 5:00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

E. नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव एवं दक्षता परीक्षा के अकों के कुल प्राप्ताकों पर आधारित होगा ।

3. **प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत प्रखण्ड स्तर पर गठित PMU में नियुक्ति संबंधित कैलेण्डर :-**

क्रमांक	कार्यक्रम	तिथि
1	आवेदन की तिथि	01.07.2025 से 15.07.2025 तक
2	कागजात सत्यापन की तिथि	16.07.2025 से 21.07.2025 तक
3	सत्यापित सूची का प्रकाशन एवं दावा आपत्ति	25.07.2025 एवं 31.07.2025
4	त्रृटि निराकरण एवं संशोधित सूची का प्रकाशन	05.08.2025
5	विषय ज्ञान दक्षता परीक्षा	10.08.2025
6	कम्प्यूटर ज्ञान दक्षता परीक्षा	14.08.2025
7	परिणाम प्रकाशन	20.08.2025

4. **मेधा सूची :-**

A. सभी पदो के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आंमन्त्रित किये जायेगें। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जायेगी। एक पद के विरूद्ध न्यूनतम अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जायेगा। प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (जहाँ आवश्यक हो) के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जायेगी।

B. सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों के विरूद्ध अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा हेतु आंमत्रित किया जायेगा ।

C. दक्षता परीक्षा में कम्प्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य होगा।

D. अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्त का दोगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। उपरोक्त पदों में एक साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेगें ।

E. दो या दो से अधिक अभ्यार्थियों के मेधा सूची में टाई (Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी । यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जायेगी तथा यदि सभी के स्थानीयता में समानता होने की दशा में लॉटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा ।

5. मूल्यांकन :–

A. आवेदक का मूल्यांकन कुल 100 अंको पर किया जायेगा, जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगा:–

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित अनुभव	दक्षता परीक्षा		कुल योग्य
		विषय ज्ञान	कम्प्यूटर ज्ञान	
50	20	10	20	100

उक्त अंकित अकों की गणना हेतु तालिका परिशिष्ट–4 पर संलग्न है। प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड समन्वयक के पद के उम्मीदवारों में रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी।

B. कम्प्यूटर परीक्षा में उत्तीर्ण का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।

C. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक तथा पिछडा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 45 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य माने जायेंगें।

D. कम्प्यूटर ज्ञान हेतु चयन समिति द्वारा कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा ली जायेगी ।

E. चतरा जिला के अतिरिक्त अन्य जिला में आवेदन करने पर पात्रता रद् कर दी जायेगी ।

6. राष्ट्रीयता :– आवेदक भारत का नागरिक हो।

7. आरक्षण :– अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार प्रभावी होगा।

8. आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया :–

A. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाईन आवेदन **https:/applyrdd.jharkhand.gov.in** पर एवं ऑफलाईन आवेदन प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित तिथि–01.07.2025 से 15.07.2025 तक समर्पित करना होगा।

B. आवेदक एक से अधिक पदो के लिए आवेदन समर्पित कर सकते है। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग ऑनलाईन आवेदन पत्र समर्पित करना होगा।

9. संविदा पर नियुक्ति होने वाले कर्मियों की सेवार्शत निम्नवत् होगी :–

A. प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की जायेगी। प्रत्येक वर्ष उनके कार्यो का चयन समिति द्वारा मूल्यांकण किया जायेगा एवं मूल्यांकन में प्रगति संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सेवा से हटाने पर विचार किया जा सकेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। नियुक्ति के लिए गठित की गयी चयन समिति ही इस प्रयोजनार्थ नवीकरण के लिए समिति मानी जायेगी।

B. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परंतु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जायेगी।

C. उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मी को किसी अन्य स्थान/संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

D. प्रखण्ड स्तरीय संविदा कर्मी का पदस्थापन जिले के किसी प्रखण्ड कार्यालय में किया जा सकता है।

E. संविदा अवधि का नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

F. आवेदक को देय एकमुश्त वेतन के अंतर्गत ही यात्रा, दूरभाष एवं इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी।

G. आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। कर्मी को मात्र सरकारी कार्यों से देश के अंदर यात्रा करने हेतु राज्य के नियमों के अंतर्गत यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।

H. राज्य सकरार द्वारा निर्धारित सिर्फ आकस्मिक अवकाश संविदा कर्मियों को देय होगा।

I. नियुक्त कर्मियों को जिला द्वारा तैयार किये गये अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।

J. किसी भी विवाद की स्थिति में उपायुक्त, चतरा का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

25/06/25

उपायुक्त,
चतरा ।